

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (360)आकाशि/नि.सं./1955/ 1712

दिनांक: 17/12


## आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संरथा अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदत निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय विषय में रथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	राम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय व विषय
श्री रघुराम गोविन्द पारीक विद्यालय मैनेजिंग कॉलेज, कांतिचन्द्र रोड, बनीपार्क, जयपुर।	एस.एस.जी. पारीक पी.जी. राजस्थान विश्वविद्यालय, बनीपार्क, जयपुर।	स्नातक स्तर पर— कला संकाय— गणित, उर्दू राहित्य, विज्ञान संकाय— अर्थशास्त्र, भूगोल। वैचरण औंफ विजुअल आर्ट (वी.डी.ए.) स्नातकोत्तर स्तर पर एम.सी.ए.— कम्प्यूटर। एम.ए.—जर्नलिंग एवं मार्ग काम्पुनिकेशन।	

- संरथा प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आदेदन करेंगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संरथा अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संरथा को समय—समय पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संरथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संरथा को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संरथा द्वारा सावधि जापा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संरथा गहाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. आईताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित गानदण्डानुसार अधिकारिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ—साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संरथा को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संरथा संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2018-19 त्रिवेदी बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संरथा प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [www.aishe.nic.in](http://www.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर दिया जायेगा।



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, गाठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, अतिरिक्त मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल संचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- संचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली

१७/१२  
संयुक्त—निदेशक (नि०सं०)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर